मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

= = = = = = = = = = = = =

क्रमांक एफ 73-37/20-3/2003 भोपाल, दिनांक -

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय विद्या भूमि स्कूल छिन्दवाड़ा को सी.बी.एस.ई. से संबद्धता हेतु एन.ओ.सी. प्रदान करने बाबत्।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय विद्या भूमि स्कूल छिन्दवाड़ा को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियमों को शिथिल करते हुए विशेष प्रकरण मानकर पूर्वोदाहरण न मानते हुए निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा।

2. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा।

3. म0प्र0 शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए, लिए गए निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा।

4. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा।

(Stamp: जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा; handwritten: 1/6/03)

निरन्तर 2 पर.

5. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध करना होगा ।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
[एम० एल० आर्य]
अवर सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र० एफ 73-37/20-3/2003 भोपाल, दिनांक - 29/4/03

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा, म०प्र० ।
3. प्राचार्य, अशासकीय विद्या भूमि स्कूल, छिन्दवाड़ा, म०प्र०

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

M L Arya 29/4/03
अवर सचिव
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
Vidya Bhumi Public School Cwa.